S.C. JAIN L.No.16

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on whichapplication is made for copy accompanied by the rebuisitte stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of postig notice on notice board	नकल वापिस लिए जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
31 20-5-13	21-5-13	21-5-13	21/5/13

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर आजमगढ़

मु० नं० 56 अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र० ज०वि० एव भू०व्य० अधि०

बाबा रामध्यान शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मुहब्बतपुर
बनाम
उ०प्र० सरकार

मौजा - मुहब्बतपुर
पर० - निजामाबाद
तहसील - सदर आजमगढ़

निर्णय

प्रतिलिपि - नकल आदेश दिनांक 12-3-13 की कार्यवाही संलग्न है

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़।

वाद स0 56 /2012
बाबा रामप्यारे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुहब्बतपुर
बनाम
उ0प्र0 सरकार

अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0
मौजा–मुहब्बतपुर,
परगना–मुहम्मदाबाद, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़।

आदेश

प्रार्थी अरविन्द कुमार सिंह, प्रबन्धक बाबा रामप्यारे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुहब्बतपुर, आजमगढ़, निवासी ग्राम–मुहब्बतपुर, तहसील–सदर, आजमगढ़ ने ग्राम–मुहब्बतपुर, परगना–मुहम्मदाबाद, तहसील–सदर में स्थित गाटा सं0 1045/0.228हे0 व 1047/0.172हे0 कुल दो गाटा 0.400हे0 के संक्रमणीय भूमिधर हैं, को अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना–पत्र की जांच हेतु तहसीलदार, सदर, जनपद–आजमगढ़ को भेजा गया। तहसीलदार, सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर उनकी आख्या दिनांक 22.01.2013 पर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 24.01.2013 प्रस्तुत की है। आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत गाटा सं0 1045/0.228हे0 व 1047/0.172हे0 कुल दो गाटा 0.400हे0, लगान 19.80 रू0 पर प्रार्थी अरविन्द कुमार सिंह, प्रबन्धक बाबा रामप्यारे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुहब्बतपुर, आजमगढ़, निवासी ग्राम–मुहब्बतपुर, तहसील–सदर, आजमगढ़ ने ग्राम–मुहब्बतपुर, परगना–मुहम्मदाबाद, तहसील–सदर में स्थित गाटा सं0 1045/0.228हे0 व 1047/0.172हे0 कुल दो गाटा 0.400हे0 के संक्रमणीय भूमिधर हैं, जो राजस्व अभिलेख खतौनी में दर्ज है। स्थल पर काबिज व दाखिल है। प्रश्नगत गाटा सं0 में कृषि, उद्यानीकरण, पशुपालन, मत्स्य सम्वर्द्धन एवं कुक्कुट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत गाटा संख्या पटटे की नहीं है, सरकारी भूमि नहीं है। सार्वजनिक प्रयोग में नहीं है जैसे–तालाब, पोखरा, कब्रिस्तान, चारागाह नहीं है न ही भूमि नजूल एवं राजकीय स्थल की है। प्रश्नगत गाटा संख्या किसी भी प्रस्तावित योजना में अधिग्रहित नहीं है। प्रश्नगत गाटा संख्या वर्तमान में 1412 फसली खसरा में कृषि दर्ज नहीं है तथा वर्ष 1412 फसली से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत गाटा संख्या का खातेदार अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। प्रश्नगत गाटा को लेकर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत गाटा संख्या के स्थल पर आबादी का प्रयोग हो रहा है। कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आसपास विकसित कालोनियां स्थापित हैं। प्रश्नगत गाटा के पूर्ण रकबे पर आबादी का प्रयोग हो रहा है। प्रश्नगत गाटा के मध्य कोई शासकीय भूमि नहीं है। अतः मौजा–मुहब्बतपुर, तहसील–सदर, जिला– आजमगढ़ की गाटा सं0 1045/0.228हे0 व 1047/0.172हे0 कुल दो गाटा 0.400हे0, प्रार्थी अरविन्द कुमार सिंह, प्रबन्धक बाबा रामप्यारे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुहब्बतपुर, आजमगढ़, निवासी ग्राम–मुहब्बतपुर, तहसील–सदर, आजमगढ़ ने ग्राम–मुहब्बतपुर, परगना–मुहम्मदाबाद, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़ की भूमि को उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0न्या0 अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

मौजा–मुहब्बतपुर दौरान चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है तथा प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत नकल खतौनी सन् 1410 से 1415 फसली में वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है एवं राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 22.01.2013 में अंकित है कि पर्चा–5 चकबन्दी अभी वितरित नहीं है। तथा कास्तकारान अपने मूल नम्बर पर काबिज हैं, जिस कारण दफा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत कार्यवाही हो सकती है।

उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम एवं नियमावली की धारा 49 के अनुसार तत्समय किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो उस क्षेत्र में पड़ती हो, जिसके लिये धारा 4 की उप धारा 2 के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गयी हो। खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय जो चकबन्दी कार्यवाही से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी। इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और कोई दिवानी या राजस्व न्यायालय उक्त भूमि के अधिकारों के सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी। किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस धारा की कोई वाद किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी ग्राम सभा का कब्जा दिया गया हो या दिया गया समझा जाय। उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122 ख के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने में असिसटेन्ट कलेक्टर को प्रतिवारित नहीं करेगी।

उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम एवं नियमावली की धारा 49 से स्पष्ट है कि धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त किसी भूमि के खातेदारों का अधिकार का प्रख्यापन तथा निर्णय अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय जो चकबन्दी कार्यवाही से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, का निर्णय कार्यवाही से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन उपबन्धों के अनुरूप किया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी वाद दीवानी या राजस्व न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा। अर्थात् जो कार्यवाहियां चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत की जा सकती है। वह कार्यवाही चकबन्दी न्यायालय द्वारा ही की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि भूमि को अकृषिकीय घोषित किया जाना है, जिसका अधिकार परगने के सहायक कलेक्टर को धारा 143 उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त है, को चकबन्दी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी भूमि को अकृषिकीय घोषित करने की कार्यवाही चकबन्दी के दौरान चकबन्दी न्यायालय द्वारा न करके राजस्व न्यायालय द्वारा की जायेगी। जैसे धारा 122बी कृषि भूमि आवंटन की कार्यवाही चकबन्दी के दौरान भी राजस्व न्यायालय द्वारा की जाती है। अतः संदर्भित भूमि को तहसीलदार की आख्या के आधार पर अकृषिकीय घोषित किया जाना न्यायोचित है।

नकल खतौनी 1410 से 1415 फसली में प्रार्थी अरविन्द कुमार सिंह, प्रबन्धक बाबा रामप्यारे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुहब्बतपुर, आजमगढ़, निवासी ग्राम–मुहब्बतपुर, तहसील–सदर, आजमगढ़ ने ग्राम–मुहब्बतपुर, परगना–मुहम्मदाबाद, तहसील–सदर, आजमगढ़ का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रार्थी का शपथ–पत्र व फोटोग्राफ संलग्न कर भेजा है। चूंकि तहसील आख्यानुसार संलग्न शपथ–पत्र एवं स्थलीय फोटोग्राफ से संतुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि की गाटा सं0 1045/0.228हे0 व 1047/0.172हे0 कुल दो गाटा 0.400हे0, मालियत मूल्य 19.80 धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0 व्य0अधि0 के सपठित नियम 135 (3) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक उक्त आदेश का अंग रहेंगे। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

P.3.13

(अनिल कुमार)
उप जिलाधिकारी
सदर, आजमगढ़।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़।

वाद सं0 56 /2012

बाबा रामप्यारे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुहब्बतपुर

बनाम

उ0प्र0 सरकार

अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 मौजा–मुहब्बतपुर, परगना–मुहम्मदाबाद, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़।

प्रख्यापन

तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 24.01.2013 से सन्तुष्ट होकर मौजा–मुहब्बतपुर की निम्नांकित भूमि को उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 1950 की धारा 143(1) सहपठित नियम 135(3) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। वर्तमान में निम्नांकित भूमि कृषि, उद्यानीकरण, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन एवं कुक्कुट पालन भी है, के उपयोग में नहीं आ रही है।

नाम ग्राम/तहसील /जनपद	नाम भूमिधर मय वल्दियत व सकूनत	गाटा सं0/क्षेत्रफल	मू0राजस्व
मौजा– मुहब्बतपुर तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़	प्रार्थी अरविन्द कुमार सिंह, प्रबन्धक बाबा रामप्यारे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुहब्बतपुर, आजमगढ़, निवासी ग्राम–मुहब्बतपुर, तहसील–सदर, आजमगढ़ ने ग्राम–मुहब्बतपुर, परगना–मुहम्मदाबाद, तहसील–सदर जनपद–आजमगढ़	गाटा सं0 1045/ 0.228हे0 व 1047/ 0.172हे0 कुल दो गाटा 0.400हे0	19.80 रू0

फोटो प्रति
कुमार
[illegible] 570
21/5/13

(अनिल कुमार) 12.3.13
उप जिलाधिकारी
सदर, आजमगढ़।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप निबन्धक, सदर, जनपद–आजमगढ़ को दो प्रतियों में इस आशय से कि एक प्रति पृष्ठांकन उपरान्त इस न्यायालय को वापस भेजी जाय।
2. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ को दो प्रतियों में अमलदरामद हेतु।

TRUE COPY
Court Re[illegible] S.D.O. Sadar
21-05-2013
AZAMGARH.

12.3.13
उप जिलाधिकारी
सदर, आजमगढ़।